



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1938

No. 742]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/ CHAITRA 3, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1212(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के तटीय खंड प्रबंधन प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय को पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को समाविष्ट करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों के साथ प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजना प्रस्तुत करे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन, तटीय विनियमन खंड अधिसूचना 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाओं की विधिमान्यता विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2016 तक बढ़ाई गई थी;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं के तैयार किए जाने की प्रास्थिति का आवधिक पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उसे तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अनुमोदन हेतु उनके अपनी अपनी प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजनाओं को प्रस्तुत करने में कुछ और अधिक समय लगेगा;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1)

और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

“उक्त तटीय विनियमन खंड की अधिसूचना, 2011 के पैरा 5 की मद (xii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(xii) तटीय विनियमन खंड, की अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं 31 जनवरी, 2017 तक या ऐसे समय तक जैसा उक्त अधिसूचना के अधीन बनाई गई नई तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया जाए, जो भी पहले हो, विधिमान्य होंगी।”

[सं. जे. 17011/18/96-ए-III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015; और
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2015 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

S.O. 1212(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forest, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;

And whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the validity Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, was extended up to 31st January, 2016 by the Central Government by a specific notification;

And whereas after the periodic review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the coastal States and Union territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval;

And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said Notification, namely:-

In the said Coastal Regulation Zone, Notification, 2011, in paragraph 5, in item (xii), for the year, namely '2016', the year '2017' shall be substituted namely:-

“(xii) The Coastal Zone Management Plans as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forest under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, shall be valid up to the 31st day of January, 2017 or till such time as the approval is given by this Ministry to the fresh Coastal Zone Management Plans made under the said notification, whichever is earlier.”

[No. J-17011/18/96-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 19 (E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31st March, 2015;
7. S.O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015; and
8. S. O. 3552(E), dated the 30th December, 2015.